भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय
नोएडा

दीपस्तंभ अधिनियम, 1927

पंजीकरण संख्या डी–(डी)– 72

असाधारण

भाग– ।। खण्ड 1

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
संख्या 84 नई दिल्ली, सोमवार, 9 दिसम्बर, 1985/अग्रहण्यन 18, 1999

आदेश में इस भाग को नया पृष्ठ दें, ताकि यह एक अलग संकलन के रूप में दर्ज हो ।

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

संसद में निम्नलिखित अधिनियम को 7 दिसम्बर, 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

प्रकाशस्तम्भ (संशोधन) अधिनियम, 1985

1985 का संख्या 66

(7 दिसम्बर, 1985)

प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 में आगे और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अनिधिनियमित :

1.	इस अधिनियम को दीपस्तंभ (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जाए । वह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2.	प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 2 में अधिनियम के संशोधन (एतद्पश्चात् प्रधान धारा के रूप में कहा जाए) खण्ड (जज) के बाद बाद निम्नलिखित खण्ड अंतर्विष्ट किया जाए, नामतः (जजक) "पोत" में "जहाजरानी पोत" शामिल हैं ।	
3.	प्रधान अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) के लिए, निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "(ख) प्रत्येक जिले में दीपस्तंभ और प्रकाशपोतों का निदेशक होने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना ।	खण्ड 3 का संशोधन

27 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ